



दिनांक हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

12/6/25


पत्रावली पेस हुई। आन्तरिक कार्य
एसीसियेशन का कार्य स्थगित किया
गया है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय
कार्य में व्यस्त है। पत्रावली आधिकारिक आदेश
दिनांक 18/6/25 को पेश हो।


18/6/25

पत्रावली पेस हुई। आन्तरिक कार्य
एसीसियेशन का कार्य स्थगित किया
गया है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय
कार्य में व्यस्त है। पत्रावली आधिकारिक आदेश
दिनांक 9/7/25 को पेश हो।


9/7/25

पत्रावली पेस हुई। वादी आर्जी. उपा.। वादी अधिवक्ता
द्वारा जार्विन पत्र अन्तर्गत आदेश 23 निपत्र 1 व द्वारा
15। वा. ही. पेस किया गया। वादिया अधिवक्ता द्वारा
उत्तुत जार्विन पत्र पर वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय
जार्विन) बहल सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा
वाद पत्र डिफॉक्टिव उत्तुत होने तथा आराजीव-2019।
चावागाट कृषि वी अमलुतीष राजस्व रिकॉर्ड के अभाव में
गलत उत्तुत होने के कारण गलत पेस होने से बसले
वैकॉर्ड प्राप्त कर तकीन वाद पत्र उत्तुत करने की
स्वीकृति के साथ वाद पत्र की प्रत्याहारित करने की
अनुमति चारी गई। वादी अधिवक्ता की जार्विन स्वीकार
की बाकर वादी द्वारा उत्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा
88, 89, 92 क एवं 188 राजाशास काबलकाकी अधि.
की सिविल जडिज कोर्ट के आदेश 23 निपत्र 1 के
अन्तर्गत प्रत्याहारित करने की स्वीकृति उदत्त की जाती
है निरति वसे राजसास सुनाया गया। डि. नि. नि. नि. नि.
पत्रावली फौजल कुमार टोकर
दाखिल दाखल ही तथा तम्बर से कम है।


सुहास कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-~~7~~ जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. सुमनबाला पत्नी कमलेश चन्द्र जी मेहता जाति मेहता आयु वयस्क निवासी देवगढ हाल मुकाम भदादा बाग के पीछे भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा -वादी

बनाम

1. केशरसिंह पिता धनपतसिंह नैनावटी जाति नैनावटी आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. चतरसिंह पिता सगतसिंह बुलिया जाति बुलिया आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. चन्द्रसिंह पिता धनपतसिंह नैनावटी जाति नैनावटी आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. चौसर बाई पत्नी धनपतसिंह नैनावटी जाति नैनावटी आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. प्रभारकरसिंह पिता धनपतसिंह नैनावटी जाति नैनावटी आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. मौतीसिंह पिता भौपालसिंह महाजन जाति महाजन आयु वयस्क निवासी बिगोद तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
7. लाडदेवी पुत्री धनपतसिंह नैनावटी जाति नैनावटी आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. विनिता देवी पुत्री धनपतसिंह नैनावटी जाति नैनावटी आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. श्यामुदेवी पुत्री धनपतसिंह नैनावटी जाति नैनावटी आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. हनुमानसिंह पिता धनपतसिंह नैनावटी जाति नैनावटी आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. उदा पिता मांगु जी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. कालु पिता देवकरण जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
13. कालु पिता देवा जी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
14. धुकल पिता सुरजमल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

15. पेमा पिता चुन्ना जी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
16. बालु पिता कुका जी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
17. भैरु पिता कुका जी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
18. रामचन्द्र पिता चुना जी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
19. लादु पुत्र मांगु जी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
20. शंकर पिता रंगा जी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
21. जगदीश पिता लादु जी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
22. प्रभु पिता लादु जी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
23. मौती लाल पिता लादु जी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
24. लक्ष्मण लाल पिता लादु जी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नौगांवा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
25. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)
26. उप पंजीयन, भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण


दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घौषणा

इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 42/2022 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन उपस्थित — इस वाद में आज तारीख 09.07.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी अधिवक्ता की वाद पत्र को प्रत्याहरित करने की अनुमति की प्रार्थना स्वीकार की जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 के अन्तर्गत प्रत्याहरित करने की स्वीकृति प्रदत्त की जाती है।


9/7/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा